कार्यालय मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक–1875 /11–सी–FP/UP/Others/69876/2020, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 02 ,2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर,
दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी।

विषयः– जनपद–लखीमपुर खीरी के उत्तरी खीरी वन प्रभाग में सिसैया–धौरहरा–निघासन–पलिया–धनौराघाट–पूरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0–101) के किमी0 83.00 से किमी0 109.40 के मध्य बांयी पटरी पर कुल लम्बाई 26.40 किमी0 तथा 0.2760 हे0 संरक्षित वनभूमि में HDD Method से भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–2487/15–1, दिनांक 29.01.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
2. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, किन्तु भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–एफ0सी0–11/165/2019–एफ0सी0, दिनांक 27.07.2020 के क्रम में विषयगत प्रकरण में आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की छूट प्रदान है। अतः प्रस्ताव में इसकी आवश्यकता न होने के कारण इसे प्रस्ताव से पृथक करें।
3. भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की छूट प्रदान है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित सभी विवरण/अभिलेख डिलिट कर प्रस्ताव से पृथक करें।
4. हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक–16 से प्रतिपूरक वनीकरण से सम्बन्धित विवरण हटाकर संशोधित हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
5. प्रस्ताव के साथ संलग्न सीडी में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल के kml file को डिलिट कर केवल प्रस्तावित स्थल की kml file को अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।
6. विषयगत प्रकरण में आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की छूट प्रदान है। अतः क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की टोपोशीट, Geo Referenced Digital Map, उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव से पृथक करें।
7. प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–एफ0–5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के अनुसार ओ0एफ0सी0 हेतु एन0पी0वी0 देयता में छूट है। अतः तदानुसार प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।
8. भूमि स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव मे सलग्न नहीं है।
9. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण पत्र पर प्रस्ताव संख्या गलत अंकित है। अतः सही प्रस्ताव संख्या अंकित कर संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
10. मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29.01.2021 में प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल 0.277 हे0 संरक्षित वनभूमि अंकित किया गया है, जोकि गलत है। अतः सही क्षेत्रफल 0.276 हे0 संरक्षित वनभूमि अंकित करें।
11. प्रस्ताव में संलग्न कुछ अभिलेखों में प्रस्ताव सं0–FP/UP/OFC/69876/2020, कुछ अभिलेखों में प्रस्ताव सं0–FP/UP/OFC/50254/2020 तथा कुछ अभिलेखों में प्रस्ताव सं0–FP/UP/Others/69876/2020, अंकित है, जोकि भिन्न–भिन्न व त्रुटिपूर्ण है। अतः समस्त अभिलेखों में सही प्रस्ताव सं0–FP/UP/Others/69876/2020, अंकित कर संलग्न करें।
12. प्रस्ताव में संलग्न किया गया ऑनलाइन पार्ट–1 त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर सही ऑनलाइन पार्ट–1 प्रस्ताव में संलग्न करें।
13. हार्डकापी भाग–2 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल 0.276 हे0 संरक्षित वनभूमि अंकित कर संशोधित हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।

Acy-145

14. ऑनलाइन भाग–2 व हार्डकापी भाग–2 में हरियाली घनत्व भिन्न–भिन्न अंकित है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान हरियाली घनत्व अंकित करें।
15. प्रस्ताव में संलग्न किया गया भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी द्वारा संस्तुति नहीं किया गया है, जोकि बिना संस्तुति के स्वीकार्य नहीं है। अतः मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी द्वारा संस्तुति किया गया भाग–3 प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में पूर्व का अपलोड किया गया बिना संस्तुति वाला भाग–3 डिलिट कर संस्तुति वाला भाग–3 अपलोड करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1875 /11–सी–FP/UP/Others/69876/2020, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर खीरी वन प्रभाग/उप निदेशक (बफर जोन) दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी।
3. डी0जी0एम0 नेटवर्क, टेलिसोनिक नेटवर्क, टी0सी0जी07/7 विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-146